23/04/2022, 17:23 Admit Card



UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION PRAYAGRAJ

10, Kasturba Gandhi Marg PRAYAGRAJ

"PROVISIONAL <u>ADMIT CARD</u> FROM WEBSITE FOR THE MAIN EXAMINATION"



LECTURER GOVERNMENT ASHRAM PADDHATI INTER COLLEGE (MAINS) EXAM-2021 LECTURER MATH

Roll Number :- 021042

| Candidate's Persona | Photo & Sign ↓ | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Registration No: | 72100137876 | |
| Candidate's Name : | PUSHPENDRA SINGH | |
| Father's/Husb's Name: | SUBHASH CHANDRA PATEL | 1 |
| Date Of Birth - Gender : | 15/07/1993 - Male | |
| Native of U.P. : | Yes | |
| Category / Sub-Cat. : | OBC / - | |
| District Code & Name : | 47 - LUCKNOW | Rushpendra Singh |

Examination Centre Details for Compulsory/Optional Subject: \

099 - PUBLIC SERVICE COMMISSION, EXAM. HALL (GROUND FLOOR) LUCKNOW Centre Code & Name:

Centre Address: SECTOR-D ALIGANJ, LUCKNOW

| Sr.No. | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | EXAMINATION DATE | EXAMINATION TIMING |
|--------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. | 51 | GENERAL HINDI AND ESSAY | 01/05/2022 | 09:30 AM TO 11:30 AM |
| 2. | 04 | MATH | 01/05/2022 | 02:00 PM TO 05:00 PM |

Page: 01

23/04/2022, 17:23 Admit Card



UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION PRAYAGRAJ

10, Kasturba Gandhi Marg PRAYAGRAJ



LECTURER GOVERNMENT ASHRAM PADDHATI INTER COLLEGE (MAINS) EXAM-2021



| Examination Details: | Paste Photo ↓ | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| NAME OF EXAMINATION : | LECTURER GOVERNMENT ASHRAM PADDHATI INTER COLLEGE (MAINS) EXAM-2021 | , | |
| Registration No./ Roll No. : | 72100137876 / 021042 | Paste your photograph | |
| Candidate's Name : | PUSHPENDRA SINGH | | |
| Date Of Birth-Gender: | 15/07/1993 - Male | | |
| Father's/Husb's Name: | SUBHASH CHANDRA PATEL | | |
| Category/Sub-Cat. : | OBC / - | | |
| Candidate's Address : | SUBHASH CHANDRA PATEL | here | |
| | TATARGANJ JASRA - PRAYAGRAJ | Hele | |
| | PRAYAGRAJ UTTAR PRADESH - PIN : 212107 | \ | |

| Sr.No. | Date And Session | Subject Code - Name | Signature of Candidate in the presence of Invigilator | Invigilator's Signature |
|--------|---|---------------------------------|---|----------------------------|
| 1. | 01/05/2022 09:30 AM TO 11:30 AM | 51 - GENERAL HINDI AND ESSAY | | |
| 2. | 01/05/2022 02:00 PM TO 05:00 PM | 04 - MATH | | |

Admit Card downloaded from : "http://uppsc.up.nic.in" on dated - [23/04/2022 , 17:23:23]

IT Solution powered by National Informatics Centre Uttar Pradesh State Unit, Lucknow

Note: Please read instructions carefully given on the next page before proceeding in Examination.

Page: 02

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक अनुदेश

अभ्यर्थी अधोलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनका अनुपालन करें। इनके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में पर्यवेक्षकों द्वारा दिये गये अनुदेशों का भी पालन करना आवश्यक होगा।

आवश्यक नोट:- अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें मुख्य परीक्षा में इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से सम्मिलित होने की अनुमित प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र जमा करने की वांछित चारों चरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जायेगा कि उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रक्रिया अथवा अर्हता पूर्ण नहीं की गयी है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

- 1. जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है, अन्य अभ्यर्थी की फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित है, अस्पष्ट है अथवा निर्धारित साइज से छोटी है तो वे अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर दो फोटो तथा आई0डी0 प्रूफ (Driving License, Passport, Pan Card, Voter Identity Card, Central/State Government issued ID Card, Unique Identification Card "Aadhaar")की मूलप्रति तथा एक छायाप्रति लेकर उपस्थित हों।
- 2. इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए प्रत्येक सत्र में अवश्य लायें अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है।

- 3. (क) अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से एक घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपिस्थत होना हैं, अभ्यर्थियों को 20 मिनट पूर्व परीक्षा-कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा।
- (ख) अभ्यर्थी को प्रत्येक सत्र की परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
- (ग) अभ्यर्थी प्रत्येक सत्र की परीक्षा प्रारम्भ होने के उपरान्त एक घंटे तक और परीक्षा समाप्त होने में आधा घण्टा शेष रहने के पश्चात् परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकेगा।
- 4. (क) अभ्यर्थी अपने साथ आवश्यकतानुसार गणित सम्बन्धी रेखाचित्र बनाने के उपयन्त्र जिसमें पटरी (Flat Rule) स्लाइड रूल, गुनिया (Setsquare) अर्द्धवृत्तक (चांदा) (Protractor) एच.एच. या एच.बी. पेंसिल, प्वाइंट लगा हुआ परकार (Pair of Compasses), रंगीन पेंसिल मानचित्र बनाने वाली कलमें (Mapping Pens), रबर टी स्कायर और ड्राइंग बोर्ड सम्मिलित है भी प्रयोग के लिए साथ ला सकते हैं।
- (ख) अभ्यर्थियों को अपने साथ अपनी सारणियों (Tables) ग्राफशीट, मानचित्र आदि लाना तथा उनका प्रयोग अनुमन्य नहीं है। किसी भी सामग्री का आपस में आदान-प्रदान करने की अनुमति नहीं है।
- (ग) ऊपर प्रस्तर-4 (क) में बतायी गयी वस्तुओं के अतिरिक्त लायी गयी पुस्तकें, नोट्स कागज आदि अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबन्ध रहेगा फिर भी यदि कोई सामान खो जाता है तो इसका दायित्व आयोग का न होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो उसे परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं तथा चयन (Selection) से वंचित (Disqualify) किया जा सकता है, चाहे उक्त सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।
- 5. दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता से ग्रस्त है, वे अभ्यर्थी श्रुतलेखक अपने साथ लायेगा, जिसे कोई यात्रा भत्ता आयोग द्वारा देय नहीं होगा। जिन्होंने श्रुतलेखक एवं अतिरिक्त समय की मांग की है या जिन्होंने केवल अतिरिक्त समय की मांग की हैं उन्हें भी उनके द्वारा मांगे जाने पर अतिरिक्त समय 20 मिनट/ प्रति घण्टे दिया जाय। जो श्रुतलेखक एवं अतिरिक्त समय का लाभ ले रहे हैं उनके परीक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था (अधिमानतः भूतल पर) परीक्षा शुरू होने से पहले करते हुए अन्तरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय। दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने केन्द्र पर, केन्द्र पर्यवेक्षक को श्रुतलेखक एवं अतिरिक्त समय हेतु सूचना देगा। अभ्यर्थी अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, परिचय पत्र एवं दो फोटो साथ लायें। केन्द्र पर्यवेक्षक ऐसे अभ्यर्थियों से उपबन्धन प्रपत्र भरवा लें तथा उसके बाद अभ्यर्थी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक की आई0डी0 प्रूफ एवं शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आयोग कार्यालय को प्रेषित कर दें।
- 6. मुख्य परीक्षा में अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी व निबन्ध तथा वैकल्पिक विषय के प्रश्न-पत्रों हेतु प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका (QCAB)उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें प्रत्येक भाग में उत्तर लिखने हेतु प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका (QCAB) में निर्धारित स्थान में ही सभी खण्डों एवं उपखण्डों के उत्तर लिखने होगें ।
- 7. प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंको एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखें। प्रश्नोत्तर में यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए 'A' अथवा 'अ' अक्षर का प्रयोग करें और पता काल्पनिक लिखे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा आवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकते हैं। दिये जाने वाले दण्डों का उल्लेख आगे प्रस्तर-12 में है।
- 8. परीक्षा भवन छोड़ने के पूर्व प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अन्दर सभी खुले कागजों, जैसे सारांश लेखन-पत्र (Precis Sheet) ग्राफ पत्रक (Graph Sheet), मानचित्र (Map), इत्यादि और प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिये गये हों, चाहे वे प्रयोग में लाये गये हो अथवा नहीं, को अभ्यर्थी भली-भांति प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अन्दर रखकर मजबूती के साथ नत्थी करेगा। इन कागजों पर भी शीर्ष भाग पर दाहिनी ओर अनुक्रमांक लिखना आवश्यक है।
- 9. परम्परागत प्रश्न-पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न, हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक हल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाये कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाये।
- 10. प्रत्येक सत्र की परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगें जब तक उनकी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका उनसे न ले ली जाये। प्रत्येक सत्र की परीक्षा अवधि समाप्ति के बाद न तो उत्तर लिखे जायें और न ही उत्तर दुहराये जायें।

23/04/2022, 17:23 **Admit Card**

11. परीक्षा कक्ष/हाल में धूम्रपान, चाय पीना, गुटखा या तम्बाकू सेवन अथवा अन्य खाद्य तथा पेय पदार्थ लाना वर्जित

- 12. अभ्यर्थी न तो किसी को अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका से नकल करने देंगे और न किसी को प्रश्नोत्तर देने में किसी प्रकार की अनुचित सहायता देंगे या देने का प्रयास करेंगे, न ऐसी सहायता लेने की चेष्टा करेंगे। ऐसा करना, किसी अन्य अनुचित साधन का प्रयोग करना, परीक्षक पर अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास, अनुचित व्यवहार का प्रदर्शन अथवा अनुदेशों की अवहेलना करना गम्भीर अपराध है। ऐसे मामले का तत्काल सरसरी तौर पर निपटारा किया जा सकता है और अभ्यर्थी को परीक्षा भवन से बाहर निकाला जा सकता है। कालान्तर में आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कोई अन्य दण्ड भी दिया जा सकता है, जिनमें न केवल इस परीक्षा से अपितु आयोग द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं से तथा चयनों से पाँच साल तक के लिए प्रतिवारित किया जाना सम्मिलित है। साथ ही, ऐसे दण्ड की सूचना संघ लोक सेवा आयोग, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों तथा विभिन्न प्रकार की परीक्षायें आयोजित करने वाली अन्य संस्थाओं को भी दी जा सकती है।
- 13. अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी लिपि में या हिन्दी देवनागरी लिपि में या उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं परन्तु भाषा के प्रश्न-पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न-पत्र के कुछ प्रश्नो के उत्तर अंग्रेजी में और कुछ का हिन्दी एवं कुछ का उर्दू में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी, हिन्दी एवं उर्दू तीनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न-पत्र का सम्पूर्ण उत्तर, उपर्युक्त में से किसी एक लिपि में देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंको में कटौती की जा सकती है।
- 14. सत्यापन एवं उपस्थिति पत्रक पर अभ्यर्थी ठीक वैसा ही हस्ताक्षर करें जैसा उन्होंने अपने आवेदन-पत्र पर किया है।
- 15. अभ्यर्थी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के बीच के खाली पृष्ठों/स्थानों को (यदि कोई हो) ''क्रास'' करेंगे।
- 16. विशेष ध्यान देने हेत् बिन्द्
- (क) उत्तर लिखने में मिश्रित भाषा का प्रयोग, असंगत, अप्रसांगिक बातें लिखने, पेंसिल अथवा लाल रंग की स्याही के प्रयोग करने, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र अनुक्रमांक लिखने पर, प्राप्तांको में से नियमानुसार कटौती की जा सकती है।
- (ख) प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका से कोई पन्ना न फाडे।
- (ग) परीक्षा कक्ष में पेजर, सेलुलर फोन/मोबाइल फोन अथवा किसी अन्य प्रकार का संचरण यंत्र लाना सर्वथा निषिद्ध है। इन अनुदेशों का उल्लघन करने पर आयोग द्वारा नियमानुसार दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 17. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र पर फेस मास्क एवं सेनेटाइजर लेकर आना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने पीने हेत् पानी की पारदर्शी बोतल साथ रखें।

Page: 03